



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28701-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक अपील सं. - 639 वर्ष 1984**

जग राम और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

|                            |   |                                          |
|----------------------------|---|------------------------------------------|
| अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता  | : | कमलेश कुमार त्रिपाठी, टी. घोष, टी. राठौर |
| प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता | : | डी.जी.ए.                                 |

---

**न्यायालय सं. - 46**

**माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,**

**माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद,**

**आपराधिक प्रकीर्ण रिकॉल आवेदन संख्या 2 वर्ष 2025 पर आदेश**

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता इस रिकॉल आवेदन पर बल नहीं देना चाहते हैं।

तदनुसार, इसे बल न दिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

**आपराधिक प्रकीर्ण द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र 10 वर्ष 2026 पर आदेश**

अपीलकर्ता के अधिवक्ता इस द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं।

इसलिए, इसे बल न देने के कारण खारिज किया जाता है।

**आपराधिक अपील पर आदेश**

कार्यालय रिपोर्ट की दिनांकित 14.10.2025 के अनुसार, अपीलकर्ता सं. 1, यानी जग राम की मृत्यु हो गई है। इसलिए, अपीलकर्ता सं. 1, जग राम के संबंध में अपील उपशमित हो गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपीलकर्तागण के अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी; राज्य के अधिवक्ता मंजू ठाकुर, ए.जी.ए.-  
प्रथम, को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामाग्री को देखा।

निर्णय सुरक्षित।

10 फरवरी, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”